मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक–एफ–3/100/2010/32 भोपाल, दिनांक 15/12/2016

प्रति,

उप नियंत्रक
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल ।

विषय :– रियल एस्टेट रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट अधिनियम 2016 भू–संपदा विनिमायक प्राधिकरण का गठन करने के संबध में ।

उपरोक्त विषय मे नगरीय विकास एवं आवास विभाग की हिन्दी एवं अँग्रेजी की अधिसूचना दिनांक 15/12/2016 एवं सामान्य प्रशासन विभाग से असाधारण राजपत्र की अनुमति दिनांक 15/12/2016 की प्रति संलग्न है । कृपया उक्त सूचना को असाधारण राजपत्र में दिनांक 15/12/2016 को प्रकाशन कर प्रकाशित राजपत्र की 10 प्रतियॉ विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्न :यथोपरि

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्र. 1753
दिनांक 16/12/16
शाखा विकास योजना Add Dr. T
अधीक्षक

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

क्रमांक–एफ–3/100/2010/32 भोपाल, दिनांक 15/12/2016

प्रतिलिपि:–

आयुक्त सह सचांलक नगर तथा ग्राम निवेश की और विभागीय सूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त सूचना को नग्रानि की बेबसाईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एव आवास विभाग

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Housing Department
MANTRALAYA

//Notification//

Bhopal, Dated 15 / 12/2016

No. F-3-100-32-2010 :: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016). the State Government, hereby establish the Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Authority with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Guzette".

2/ The Head Office of the Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Authority shall be at Bhopal.

3/ The Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Authority, shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 and Madhya Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2016.

4/ The Chairman and Member of the Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Authority shall hold office for a term as mentioned in section 23(1) of The Act.

5/ The salary, allowances and other perquisites and service conditions shall be in accordance with the Sub-Rule 1 of Rule 20 of Madhya Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2016.

By order and in the name of the
Governor Of Madhya Pradesh,

(C.K.Sadhav)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Development And
Housing Department

other/notice

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 15/12/2016

कमांक–एफ–3–100/32/2010 :: रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम 2016 की धारा 20(1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा इस अधिसूचना के ''म0प्र0 राजपत्र'' में प्रकाशित होने की तारीख से मध्यप्रदेश भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण का गठन करती है।

2/ मध्यप्रदेश भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय भोपाल होगा।

3/ मध्यप्रदेश भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और प्रकिया का अनुसरण करेगा, जो रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम 2016 एवं म0प्र0 रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) नियम 2016 में प्रगणित हो।

4/ मध्यप्रदेश भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, अधिनियम की धारा –23(1) में विहित अवधि के लिये पद धारण करेंगे।

5/ मध्यप्रदेश भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें, म0प्र0 रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) नियम 2016 के नियम– 20 के उपनियम–1 के अनुसार संदाय किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.के.साधव)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 15/12/2016

क्रमांक–एफ–3–100/32/2010 :: राज्य शासन एतद् द्वारा रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम 2016 की धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को मध्यप्रदेश भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

1. श्री ॲन्टोनी डिसा, — अध्यक्ष
सेवानिवृत्त, मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन।

2/ अध्यक्ष का कार्यकाल रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम 2016 की धारा 23(1) में विहित अवधि के लिये होगा। अध्यक्ष को पुर्ननियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

3/ अध्यक्ष को वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें, म0प्र0 रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) नियम 2016 के नियम– 20 के उपनियम–1 के अनुसार संदाय किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.के.साधव)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल, दिनांक 15 /12/2016

क्रमांक–एफ–3–100/32/2010
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म0प्र0 शासन, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0 शासन, भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल,
4. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल,
5. रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय, प्रधानपीठ जबलपुर,
6. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल,
7. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास/चयन समिति सचिवालय, म0प्र0 भोपाल,
8. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल,
9. निज सचिव, मान0 मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल,
10. स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल।,
11. श्री ॲन्टोनी डिसा, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

OTHER